BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 26 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Chandr Pal Singh ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh&Ors....Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit Of District Magistrate Rampurin compliance of order dated 27.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**ANNEXURE R-1** A Copy of joint inspection committee report dated 07-03-2025	
3.	**ANNEXURE R-2** A Copy of Revenue Record.	
4.	**ANNEXURE R-3** A copyof First Information Report dated 19.07.2023.	

5.	**ANNEXURE R-4** A copy of chargesheet dated 11-10-2023	
6.	**ANNEXURE R-5** A copy of inspection report dated 12.06.2025	
7.	**ANNEXURE R-6** A copy of Government Order dated 9th June 2021	

DATED: 10.09.2025

FILED THROUGH

AnkitVerma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF,NIZAMUDDINEAST, NEWDELHI- 110013

MOB:- 09990804440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 26 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Chandr Pal Singh ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors....Respondent(s)

REPLYAFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE RAMPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No.3 Hereinstates as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Jogindra Singh aged 36 years S/o Shri Vijay Singh, presently posted as District Magistrate District Rampur, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

5 रु.
कोर्ट फी
Rs.5
COURT FEE
भारत
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
5 रु.
कोर्ट फी
Rs.5
COURT FEE
भारत
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

That I am the abovementioned officer of the answering Respondent No.3 and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

2. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the deponent is posted as District Magistrate DistrictRampur since 30-01-2024

4. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 27.01.2025 was pleased to pass the following directions:

DEPONENT

"6..............Issue notice to the respondents for filing the response by way of affidavit within 6 weeks through e-filing..........."

That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 27.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That the present Original Application, has been filed by the applicantseekingcompensation on account of death of his two minor children which occurred on 14.07.2023 due to drowning in the pit, which was illegally dug beyond the permissible limit by Respondent No. 4, Brick Kiln, for excavation of the brick earth from the land which is located near his brick field in District Rampur.

6. That in respectful compliance of the order dated 27.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent herein Orally constituted a joint committee comprising of administrative officials comprising of SubDivisional Magistrate Tehsil Milak District Rampur, District Mines Officer Rampur and Regional Officer Regional Office District Rampur directed them to ascertain the allegations raised in the instant Original Application and submit a factual report.

7. That the aforesaid joint committee inspected the defaulter brick klin (M/s Chand Brick Field, Village KhataChintaman Tehsil Milak District Rampur) on 07.03.2025. During the course of inspection, it was observed that the alleged brick klin was set up illegally on Gata No.314.by the Respondent No.4, which was found to be closedand non operational in furtherance of the closure order dated 25.02.2025 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board. A copy of joint inspection committee report is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

8. That during the course of the joint inspection by the committee, it was further observed that the illegal mining of ordinary soil up to the volume of 154.377 cubic meters was done by the Respondent No 4.

9. That as per the revenue record Gata No. 314, admeasuring area of 1.08480 hectare from where the illegal mining was done is registered in the name of Dhani Ram and five others. A copy of revenue record of Gata No.314 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

10. That the then District Mining Officer District Rampur, lodged First Information Report No. 0167 dated 19.07.2023 under section 304 of the Indian Penal Code,

1860 and under section 4 and 21 of the Mines Act 1952 against the land owner of Gata No.314 and the owner of the brick klin. A copy of First Information Report dated 19.07.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

11. That in the aforesaid FIR Chargesheet has been filed on Dated 11-10-2023 and proceeding are pending before the competent court of Hon'ble Civil Judge (Junior Division, Fast track Court, Crime Against Women), District Rampur. A copy of chargesheet dated 11.10.2023 is annexed herewith as **Annexure R-4.**

12. That it has been further informed that another inspection was carried out by the UPPCB on 12.06.2025 and then also the brick klin was found to be closed and non operational. A copy of inspection report dated 12.06.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

13. That it is further submitted that as per the mandate of the Government Order (Revenue Department 11) No. 387/F- 11-2021-4 (G) 2105 Dated 9th June 2021, at serial no.2 it is stated that death occurring from drowning will be covered under State Disaster Relief and Rupees Four Lakhs as compensation will be awarded. A copy of Government Order dated 9th June

14. That accordingly Rupees Four Lakhs each as relief compensation was awarded to the applicant for the death of his two children who drowned in the pit which was illegally dug up the Respondent No.4. That an amount of Rupees Eight Lakhs (8, 00,000/-) through e-payment was transferred in the bank accountof the applicant on 29.07.2023 by the Sub Divisional Magistrate Tehsil Milak District Rampur.

15. That in the interest of justice the present reply affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of 10/9/2025.

DEPONENT

DEPONENT

DEPONENT

S. No. 54 Date 10/9/25

I certified that Joginder Singh

identified by Rajveer Singh

Swore to / Solemnly Declared / affirmed

the contents of this affidavit being true in

my presence after fully under standing its

contents. Dated 10/9 at RAMPUR

Identified by

RAJVEER SINGH

Advocate

Regd. No. 4648/2008

COP No.- 105678

Distt. Court Rampur (U.P.)

Mob. No.- 9410051574

विनोद कुमार पाण्डेय

ओथ कमिश्नर

रजि० न० 6824/201

मी.ओ.पी. नं. 263282/2024

मो. 9761865666

कलेक्ट्रेट कचहरी, रामपुर

ANNEXURE R-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन के सबंध मे प्रस्तरवार आख्या –

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24127/सी–7/ओ0ए0नं0–26/2025 13.02.2025 के सबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं –

"...................3. The Applicant alleges that the illegally dug-up pit was up to the depth of 15 feet and that Respondent No. 4 had not complied with the environmental norms and had illegally dug the pit.

6. Issue notice to the respondents for filing the response by way of affidavit within 6 weeks through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List on 06.05.2025................"

उक्त के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभाग के निम्नानुसार समिति का गठन किया गया। गठित समिति के अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है –

1. श्री महेन्द्र सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
2. श्री अमित रंजन, खान अधिकारी, रामपुर।
3. श्री सुनील कुमार, उपजिलाधिकारी, तहसील मिलक, रामपुर।

इसी क्रम में प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर का उक्त समिति द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री खुर्शीद खान उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुए तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर पर अक्षांश 28.680756, देशान्तर 79.154813 पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया।

AEE

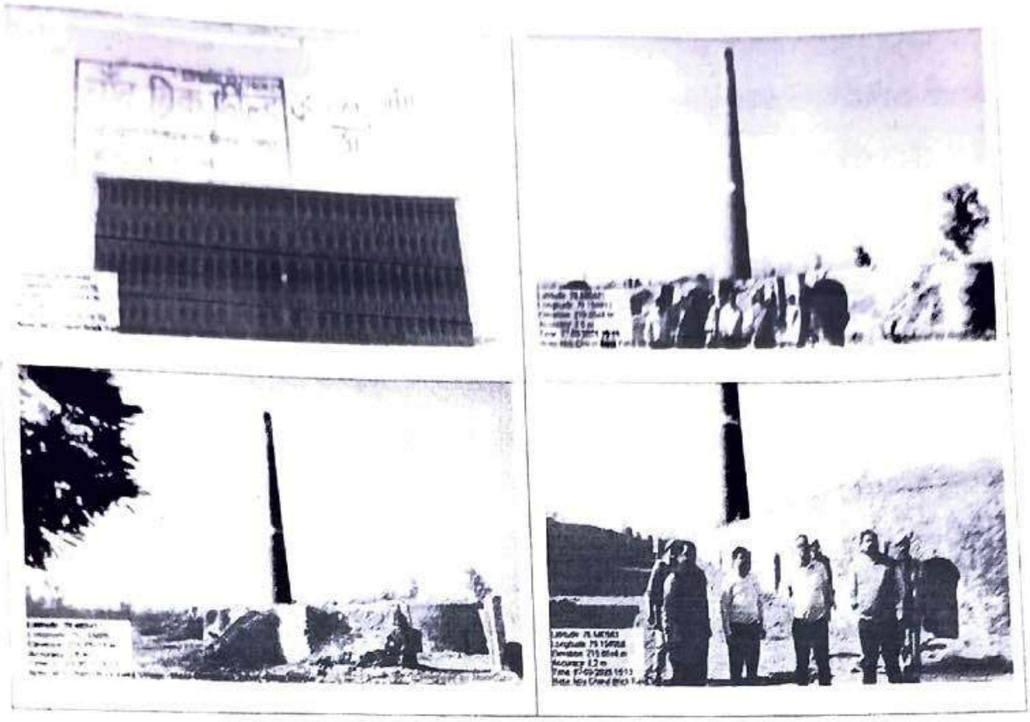

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

3. निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री खुर्शीद खान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके ईट भट्ठे का संचालन कार्य विगत 01 वर्ष 06 माह से पूर्णतः बन्द है। इस संबंध में ईट भट्ठा स्थल गाटा सं0 324, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के स्वामी श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा शपथपत्र दिनांक 20.02.2025 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से शपथपूर्वक बयान किये गये हैं कि ईट भट्ठे का संचालन विगत 01 वर्ष 06 माह से बन्द है, **शपथ पत्र दिनांक 20.02.2025 की छायाप्रति संलग्नक–01 पर संलग्न है।**

4. निरीक्षण के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री खुर्शीद खान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके वालिद श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा उक्त ईट भट्ठे के स्थल गाटा सं0 334 (रकबा 1.0800 है0) को श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली को वर्ष 2014 में भट्ठे की स्थापना कर संचालन करने हेतु 10 वर्षों की अवधि हेतु किराये पर दिया गया था, **किरायेनामे की छायाप्रति संलग्नक–02 पर संलग्न है।**

अग्रेतर उपस्थित प्रतिनिधि श्री खुर्शीद खान द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि घटित घटना माह जुलाई, 2023 के दौरान भी ईट भट्ठे का संचालन श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली द्वारा किया जा रहा था।

5. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद में उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 के दौरान ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित "ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 27 जून, 2012 की उपविधियों के अनुरूप न होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 105/सी–9/रामपुर दिनांक 23.01.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित संस्तुति के कम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 07022/सी–7/ए–2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, **कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक–03 पर संलग्न है।**

6. उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद में उपलब्ध अभिलेखानुसार, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उक्त ईट भट्ठे का पुनः किये गये निरीक्षण दिनांक 21.12.2024 के दौरान ईट भट्ठे को संचालन हेतु प्रयासरत पाये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्रांक 1571/सी–9/रामपुर दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित संस्तुति के कम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24657/सी–7/ वायु–2005/2024–25 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है, **बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक–04 पर संलग्न है।**

7. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक, ईट भट्ठा प्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संदर्भित ईट भट्ठे द्वारा पूर्व में वर्ष 2023 में कच्ची ईंटो की पथाई ईट भट्ठे के पश्चिम दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 270 मी0 की अनुमानित दूरी पर ग्राम खाता चिन्तामन के समीपस्थ गाटा सं0 314 (रकबा 1.0480 है0) पर (अक्षांश 28.682777, देशान्तर 79.152962) मिट्टी का खनन कार्य/कच्ची ईटों की पथाई का कार्य किया गया था। **गाटा सं0 314 (रकबा 1.0480 है0) की खतौनी की छायाप्रति संलग्नक–05 पर संलग्न है।**

8. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठे को कच्ची ईंटो की पथाई हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसिसमेन्ट अथॉरिटी, रामपुर द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–446/81–7–2020–39(पर्या)/2017 टी0सी0–1, दिनांक–01.05.2020 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में प्रदेश में स्थापित ईट भट्ठों को निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी है–

AEE

"ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्त संचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आर0ए0 अधिसूचना दिनांक–28.03.2020 में उल्लेखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तसंचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।"

9. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में उल्लिखित प्रश्नगत स्थल ईट भट्ठे के पश्चिम दिशा में ईट भट्ठे से लगभग 270 मी0 की अनुमानित दूरी पर ग्राम खाता चिन्तामन के समीपस्थ गाटा सं0 314 (रकबा 1.0480 है0, जिसका अक्षांश 28.682777, देशान्तर 79.152962 है) पर मिट्टी का खनन कार्य/कच्ची ईटों की पथाई का कार्य किया गया था। निरीक्षण के दौरान वर्तमान में उक्त वर्णित ईट पथाई स्थल पर मिट्टी समतलीकरण का कार्य कर, कृषि कार्य किया जाता पाया गया।

10. निरीक्षण के दौरान उक्त घटित दुर्घटना के संबंध में अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके कम में स्थानीय निवासी श्री भगवानदास राठौर, पूर्व प्रधान, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में उक्त वर्णित प्रश्नगत ईट भट्ठे के तत्कालीन संचालक श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली द्वारा ईट भट्ठा संचालन के दौरान कच्ची ईंटो के निर्माण हेतु ईट भट्ठे के पथाई स्थल गाटा सं0 314 (रकबा 1.0480 है0, जिसका अक्षांश 28.682777, देशान्तर 79.152962 है), ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर पर मानकों से अधिक गहराई की खुदाई किये जाने एवं खुदाई स्थल पर वर्षात् का पानी भर जाने के कारण, स्थल पर कोई बाड़बन्दी अथवा सांकेतिक बोर्ड/सूचनापट न होने के कारण दिनांक

14.07.2023 को 02 बच्चे क्रमश - अनमोल पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह (उम्र लगभग 06 वर्ष) एवं मधु पुत्री श्री चन्द्रपाल सिंह (उम्र लगभग 08 वर्ष) की गढ्ढे में भरे हुए पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

11. निरीक्षण के दौरान उपस्थित अन्य स्थानीय लोगों द्वारा उक्त घटित दुर्घटना के संबंध में अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा संचालक द्वारा कच्ची ईंटो की पथाई हेतु उक्त वर्णित खनन क्षेत्र/पथाई क्षेत्र में 2.0 मी0 से अधिक गहराई में मानकों से अधिक मिट्टी की खुदाई की गयी थी तथा इस प्रकार के कई गढ्ढे बनाये गये थे। गढ्ढों का प्रयोग ईट पथाई हेतु गारा बनाने में किया गया था। ईट भट्ठे द्वारा खनन क्षेत्र/पथाई क्षेत्र में अनुमन्य गहराई से अधिक खनन किये जाने के संबंध में तत्समय पथाई स्थल गाटा सं0 314 के भूस्वामी एवं ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड के भट्ठा स्वामी के विरूद्ध स्थानीय थाने में दिनांक 19.07.2023 को एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी। **एफ0आई0आर0 दिनांक 19.07.2023 की छायाप्रति संलग्नक–05 पर संलग्न है।**

12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में की गयी रिट के पृष्ठ सं0 11 के बिन्दु सं0 09 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं –

"..............That for the death of the 2 children the Applicant was granted the relief of total 8 lakh Rs only as Compensation from the District Administration. However, it is submitted that the compensation is highly inadequate in light of the floor level compensation of Rs 20 Lakh which has been awarded by the Hon'ble Tribunal in the past in similar matters against the death of person/s who died because of violation OR by accident in Units covered under the Schedule I Acts............."

उक्त रिट के पृष्ठ सं0 11 की छायाप्रति संलग्नक–06 पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट/रेस्पॉन्स की प्रस्तरवार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अमित रंजन)	(महेन्द्र सिंह)	(सुनील कुमार)
खान अधिकारी, रामपुर	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद	उपजिलाधिकारी, तहसील मिलक, रामपुर

ANNEXURE R-2

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/September/2025 10:49:07 AM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 117353

तहसील : मिलक
फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

ग्राम : खाता चिन्तामन
खाता संख्या : 00096

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
314	1) धनीराम / रामचरन / नि. ग्राम		1421फ.	314 (117353031400012)	1.0480			50.00

2) मुन्नालाल / रामचरन / नि. ग्राम

3) डोरीलाल / रामचरन / नि. ग्राम

4) हृदयशंकर / कुन्दन / नि. ग्राम

5) वेदराम / हृदयशंकर / नि. ग्राम

6) शिशुपाल / हृदयशंकर / नि. ग्राम

कुल गाटे : एक **कुल क्षेत्रफल :** एक दशमलव शून्य चार आठ शून्य (हेक्टेयर) **कुल भू-राजस्व :** पांच शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20241313600728001171 / 04-10-2024 / वरासत / Vimal Kumar Jain () / 10-10-2024	1.1) धनीराम/रामचरन/ नि. ग्राम (: -)	314 (1173530314000012)	1.1) -	1.1) कुमर बहादुर / धनीराम / नि0 ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक 1.2) दीपचन्द / धनीराम /	314 (1173530314000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4) -

नि0 ग्राम
खाता
चिन्तामन
तहसील
मिलक

1.3) नत्थो
देवी /
धनीराम /
नि0 ग्राम
खाता
चिन्तामन
तहसील
मिलक

1.4)
वेदप्रकाश /
धनीराम /
नि0 ग्राम
खाता
चिन्तामन
तहसील
मिलक

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

1) 1429फ. खातेदार हृदय शंकर पुत्र कुन्दन ने अपनी भूमि गाटा सं.314,241,146 को मु.319000/रू में बैंक ऑफ बडौदा शाखा धमौरा में बंधक की । ह.आर.के 23.04.22 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** PAWAN KUMAR SAXENA (REGISTRAR KANOONGO) / 25-04-2022)

2) 1426फ. खातेदार मुन्ना लाल व डोरी लाल पुत्रगण राम चरन ने अपनी भूमि गाटा सं.241,276,314,146 को मु.263000/रू में बैंक ऑफ बडौदा शाखा धमौरा में बधंक की । ह.आर.के 22.10.18 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** SHIV KUMAR (REGISTRAR KANOONGO) / 30-01-2021)

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

ANNEXURE R-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): रामपुर
   P.S. (थाना): मिलक   Year (वर्ष): 2023
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0167
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 19/07/2023 23:03

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304
2	खान अधिनियम, 1952	4
3	खान अधिनियम, 1952	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन):   Date From (दिनांक से):   Date To (दिनांक तक):

   Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 19/07/2023 **Time (समय):** 23:03 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 108 **Date & Time (दिनांक और समय):** 19/07/2023 23:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 12 किमी **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जंगल ग्राम खाता चिन्तामन ,थाना मिलक जनपद रामपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री शिवम जैन खान अधिकारी

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	रामपुर ,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	रामपुर ,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8887534790

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	गाटा संख्या 314 के भूस्वामी			1. ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक, रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	चाद ब्रिक्स फिल्ड के भट्टा स्वामी			1. ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक, रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी .... थाना प्रभारी थाना मिलक जनपद रामपुर महोदय, अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी मिलक द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.07.2023 द्वारा प्रेषित क्षेत्रीय लेखपाल रिकू रानी , क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नादिर हुसैन खां , नायब तहसीलदार आर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी रामपुर के साथ की ग्राम खाता चिन्तामन की संयुक्त जांच दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या 314 रक्बा 1.0480 है0 की स्थलीय जांच करने पर 20x4.5x1.7153 घनमीटर का मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा ग्रामवासियों के लिए गये बयानों में उठायी गयी मिट्टी निकटतम ईट भट्टा चांद ब्रिक्स फिल्ड द्वारा प्रयोग में लिया जाना अंकित किया गया है। आख्या सलग्न है। अतः तहसील स्तरीय उपरोक्त संयुक्त आख्या की प्रति (स्थलीय छायाचित्र सहित) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या 314 के भूस्वामियों एवं चांद ब्रिक्स फिल्ड के भट्टा स्वामियों के द्वारा अवैध खनन किया गया है जिससे गहरे गहरे गड्ढे हो गये जिनमें बरसात का पानी भर गया यह भट्टा गांव की आवादी से लगा हुआ है और गांव के बच्चे वहां पर आकर खेला करते थे इसकी पूरी आशंका थी कि खेलते हुए बच्चे वहां पर डूब सकते है लेकिन भट्टा स्वामियों द्वारा इन गड्डो को न तो भरा गया न ही बेरिकेटिंग करयी गयी और न ही कोई

चौकीदार तैनात किया गया जो बच्चे उधर न आने देता इनके इस कृत्य से है बच्चो की डूबकर मृत्यु हो गयी है ।अतः अनुरोध है कि सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिको दर्ज करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अग्रेजी अपठित /19.7.23(शिवम जैन)खान अधिकारी, रामपुरामो0न0 8887534790 नोट मैं हे0का0 741 धर्मवीर सिहँ प्रमाणित करता हूँ की तहरीर की नकल सीसीटीएनएस कम्प्युटर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाईप की गयी है मूल तहरीर सलग्न मूल एफ.आई.आर है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AJAY PAL SINGH **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 972750356 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 **Date and time of dispatch to the court** (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA MILAK
Rank I (Inspector)
No. 9454404165

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	अज्ञात					
2	अज्ञात					

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोटेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

ANNEXURE R-4

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : सीजे जे0डि0 एफटीसी सीएडब्ल्यू रामपुर (के

1. **District/Unit** (जिला/इकाई): रामपुर
   P.S. (थाना): मिलक — **Year**(वर्ष): 2023
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0167 — **Date**(दिनाँक): 19/07/2023
2. **Final Report / Charge Sheet No.**(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01
3. **Date**(दिनाँक): 11/10/2023
4. **S.No.**

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का	4
3	खान एवं खनिज (विकास का	21

5. **Type of Final Form/Report** (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार): आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred** (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. **If Charge sheet** (यदि आरोप पत्र दाखिल किया): मूल

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. **Name of I.O. at the time of charge sheet** (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): BHANU SINGH

Rank (पद): I (Inspector) **No.** (सं.):0902650482

9. (a) (क) **Name of complainant / informant** (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
श्री शिवम जैन खान अधिकारी

(b) (ख) **Father's/Husband's Name** (पिता/पति का नाम) :

10. **Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:**
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal

11. **Particulars of accused persons charge-sheeted**(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) **Name** तफसीर अहमद
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) **Father's Name**(पिता का नाम): शफीक अहमद

(iii) **Date/ Year of birth** (जन्मतिथि/वर्ष): 1980

(iv) **Sex**(लिंग): पुरुष

(v) **Nationality**(राष्ट्रियता): भारत

(vi) **Passport No.**(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम अगवाड़ा , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम अगवाड़ा , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 2
(i) Name मो0 शरीफ
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): अहसान करीम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1955
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	मौ0 दर्जी चौक, शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	मौ0 दर्जी चौक, शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 3

(i) Name अब्दुल खालिक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): अब्दुल सत्तार

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1964

(iv)Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi)Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम अगवाड़ा , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम अगवाड़ा , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 4
(i) Name जमीर अहमद
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): कबीर अहमद

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1973
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	कस्बा व थाना शीशगढ़ , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	कस्बा व थाना शीशगढ़ , शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 5
(i) Name रेहान अहमद
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): मो0 करीम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1970
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	मौ0 दर्जी चौक, शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	मौ0 दर्जी चौक, शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 6
(i) Name मुन्नालाल
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): रामचरन

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1970
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):
(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
(ix) Occupation(व्यवसाय):
(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम खाताचिन्तामन, मिलक, रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम खाताचिन्तामन, मिलक, रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ
Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):
(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):
(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):
(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):
(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect)
(आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोo नंo)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए ज़ाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्री शिवम जैन /	पिता: महेन्द्र कुमार जैन	1993		वर्तमान पता: खनन अधिकारी रामपुर ,सिविल लाइन,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: नजाई बाजार , कोतवाली ललितपुर,ललितपुर, उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य

2	हे0का0 741 धर्मवीर सिहँ पीएनओ 112231314 /	:			वर्तमान पता: थाना मिलक जनपद रामपुर,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना मिलक जनपद रामपुर,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
3	श्रीमती रिकू रानी लेखपाल /	पिता: श्री नितिन कुमार			वर्तमान पता: तहसील मिलक , मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मौ0 शिवालिकनगर,रानीपुर,हरिद्वार, उत्तराखण्ड,भारत	समर्थन साक्षी
4	आर्चि गुप्ता नायब तहसीलदार /	पिता: श्री कुलदीप गुप्ता			वर्तमान पता: तहसील मिलक, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मौ0 ए-01/109 मानसरोवर कालोनी ,मझोला, मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत	समर्थन साक्षी
5	नादिर हुसैन खाँ राजस्व निरीक्षक /	पिता: शब्वीर हुसैन खाँ			वर्तमान पता: थाना मिलक रामपुर,मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मौ0 घेर अलफ खाँ ,गंज,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	समर्थन साक्षी
6	दिलशाद /	पिता: अब्दुल मजीद			वर्तमान पता: ग्राम अगवाड़ा , शेरगढ़,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अगवाड़ा , शेरगढ़,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
7	मौ0 राशीद /	पिता: अब्दुल खालिक			वर्तमान पता: ग्राम अगवाड़ा, शीशगढ़,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अगवाड़ा, शीशगढ़,बरेली,उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
8	उ0नि0 सुरेशचन्द्र पीएनओ 862120263 /	:			वर्तमान पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
9	का0 1857 सुमित कुमार /	:			वर्तमान पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी

10	म0का0 342 निशा झा /	:			वर्तमान पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना मिलक जनपद रामपुर ,मिलक,रामपुर, उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
11	डा0 फारूख अहमद एम0ओ0 /	:			वर्तमान पता: जिला अस्पताल रामपुर,कोतवाली,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: जिला अस्पताल रामपुर,कोतवाली,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्ष्य
12	राजबहादुर /	पिता: फकीरचन्द			वर्तमान पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
13	भगवानदास /	पिता: चन्द्रसैन राठौर			वर्तमान पता: ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
14	वीर सिंह /	पिता: शिवचरन			वर्तमान पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
15	नरेश /	पिता: भूपाल			वर्तमान पता: ग्राम जाफराबाद , मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम जाफराबाद , मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
16	दिपन /	पिता: शेर सिंह			वर्तमान पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
17	श्री चन्द्रपाल /	पिता: भूपाल			वर्तमान पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम जाफराबाद, मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत	पीड़ित साक्षी
18	उ0नि0 अजयपाल सिंह पीएनओ 972750356 /	पिता: अजब सिंह			वर्तमान पता: एसओजी कार्यालय रामपुर,सिविल लाइन, रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम कोठरा,किठौर, मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

19	एसएचओ भानू सिंह पीएनओ 902650482 /	पिता: सत्यवृत			वर्तमान पता: थाना मिलक रामपुर,मिलक,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम बामनौली, दोघट,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा **182/211 / 217/248** बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री शिवम जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन निवासी नजाई बाजार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर हाल खनन अधिकारी जनपद रामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 19.07.2023 को मु0अ0सं0 167/2023 धारा 304 भादवि व 4/21 खनन अधि0 बनाम गाटा संख्या 314 के भूस्वामी एवं चाद ब्रिक्स फिल्ड के भट्टा स्वामी के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री अजयपाल सिंह द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी। जिनके द्वारा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. तफसीर अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी ग्राम अगवाड़ा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 2. मो0 शरीफ पुत्र अहसान करीम निवासी मौ0 दर्जी चौक थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 3. अब्दुल खालिक पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी अगवाड़ा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 4. जमीर अहमद पुत्र कबीर अहमद निवासी कस्बा व थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 5. रेहान अहमद पुत्र मो0 करीम निवासी मौ0 दर्जी चौक थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये। थानाध्यक्ष श्री अजयपाल सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। बयान गवाहान आदि साक्ष्य के आधार पर गड्ढा भूमि मुन्नालाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम खाताचिन्तामन थाना मिलक जिला रामपुर की होना पायी गयी जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2023 को भट्टा मालिक उपरोक्त को 04 बीघा भूमि से मिट्टी उठाने के लिए दो वर्ष के लिए किराये पर नियम विरूद्ध देना पाये जाने पर भूस्वामी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम खाताचिन्तामन थाना मिलक जिला रामपुर का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त की घटना जानबूझकर कारित किया जाना नहीं पाया गया जबकि प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. तफसीर अहमद 2. मो0 शरीफ 3. अब्दुल खालिक 4. जमीर अहमद 5. रेहान अहमद के द्वारा भूस्वामी मुन्नालाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम खाताचिन्तामन थाना मिलक जिला रामपुर की भूमि से अवैध रूप से खनन करना जिससे जमीन में गड्ढा बन जाना और बरसात होने के कारण बरसात का पानी गड्ढा में भर जाना और चन्द्रपाल पुत्र भूपाल निवासी ग्राम खाताचिन्तामन की पुत्री कु0 मधु व पुत्र अनमोल का गड्ढा में भरे पानी में डूबकर मृत्यु होना पायी गयी। विवेचना से अपराध धारा 304 भादवि का होना नहीं पाया गया अपराध धारा 304ए भादवि का होना पाया गया। अभियोग में धारा 304 भादवि का

विलोपन किया गया तथा धारा 304ए भादवि की वृद्धि की गयी। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व मृतका कु0 मधु व मृतक अनमोल की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1. तफसीर अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी ग्राम अगवाड़ा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 2. मो0 शरीफ पुत्र अहसान करीम निवासी मौ0 दर्जी चौक थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 3. अब्दुल खालिक पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी अगवाड़ा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 4. जमीर अहमद पुत्र कबीर अहमद निवासी कस्बा व थाना शीशगढ़ जनपद बरेली, 5. रेहान अहमद पुत्र मो0 करीम निवासी मौ0 दर्जी चौक थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के विरूद्ध जुर्म धारा 304ए भादवि व 4/21 खनन अधि0 व भूस्वामी अभियुक्त 6. मुन्नालाल पुत्र रामचरन निवासी ग्राम खाताचिन्तामन थाना मिलक जिला रामपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 4/21 खनन अधि0 के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। अतः अभियुक्तगण 1. तफसीर अहमद 2. मो0 शरीफ 3. अब्दुल खालिक 4. जमीर अहमद 5. रेहान अहमद 6. मुन्नालाल उपरोक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र सं0 249/2023 दिनांक 11.10.2023 मा0 न्यायालय किया जाता है। मा0 न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब कर दण्डित करने की कृपा करें।

17.Refer Notice served नहीं **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 11/10/2023

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

कोई नहीं

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

कोई नहीं

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

22क. **Name, address and age of the accused on bail**
(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :
कोई नही

22ख. **Mafarur accused name, address and age** /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :
कोई नहीं

23. **Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.**(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. **Result of trial** (मुकदमे का परिणाम) :

25. **Complete Punishment** (पूर्ण सजाएँ) :

25क. **Date** (दिनांक) :

25ख. **Place** (स्थान) :

25ग. **Punishment** (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)
Name (नाम): THANA MILAK
Rank (पद): I (Inspector)
PNO/CUG No. पीएनओ/सीयूजी सं: 9454404165

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): BHANU SINGH
Rank (पद): I (Inspector)
PNO/CUG No. पीएनओ/सीयूजी सं: 0902650482

ANNEXURE - R5

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन में O.A. No. 26/2025 (IA No. 39/2025) Chandra Pal Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. पारित ओदश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण आख्या –

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठे मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर का इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री खुर्शीद खान उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुए तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर पर अक्षांश 28.680756, देशान्तर 79.154813 पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

2. वर्तमान में उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य विचाराधीन है।

3. ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24657/सी–7/ वायु–2005/2024–25 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है (छायाप्रति संलग्न)। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे में वर्तमान में उत्पादन कार्य बन्द है। फोटोग्राफ संलग्न है।

4. निरीक्षण के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री खुर्शीद खान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके वालिद श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा उक्त ईट भट्ठे के स्थल गाटा सं0 334 (रकबा 1.0800 है0) को श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली को वर्ष 2014 में भट्ठे की स्थापना कर संचालन करने हेतु 10 वर्षो की अवधि हेतु किराये पर दिया गया था।

5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन में O.A. No. 26/2025 (IA No. 39/2025) Chandra Pal Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. पारित ओदश दिनांक 27.01.2025 में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध मे मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर के विरुद्ध संयुक्त जॉच दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर की गाटा सं0 314, रकबा 1.0480 है0 की स्थलीय जॉच की आख्यानुसार हुए कुल अवैध खनन की मात्रा 154.377 घनमी0 मिट्टी के तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड रु0 69,470/– अधिरोपित

किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 27789/सी–7/ वायु–2005/24 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसके संबंध में ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड द्वारा प्रत्युत्तर अद्यतन तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

6. अग्रेतर इस कार्यालय के पत्रांक 870/एन–13/26/कादिर अहमद/25/जनरल दिनांक 11.06.2025 के माध्यम से ईट भट्ठों क्रमशः मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, रामपुर व मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा प्राप्त किये जाने के संबंध में जिला खान अधिकारी, जनपद रामपुर को प्रेषित पत्र किया गया था (छायाप्रति संलग्न), जिसके कम में खान अधिकारी, रामपुर द्वारा प्रेषित पत्र सं0 1759/खनिज–2025 दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर के विरुद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 सं0 167/2023 दिनांक 19.07.2023 में उल्लिखित है कि क्षेत्रीय लेखपाल रिंकू रानी, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नादिर हुसैन खां, नायब तहसीलदार आर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी, रामपुर के साथ ग्राम खाता चिन्तामन की संयुक्त आख्या दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर की गाटा सं0 314, रगवा 1.0480 है0 की स्थलीय जॉच करने पर मात्रा 20x4.5x1.7=153 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। संलग्न एफ0आई0आर0 अनुसार ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर द्वारा मात्रा 153 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन किया जाना गया (छायाप्रति संलग्न)।

7. अग्रेतर अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद रामपुर और बिजनौर के अन्तर्गत कोस्ट ऑफ अर्थ की सूचना धारित नही है। उक्त प्रति लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर Schedule of Rates पर उपलब्ध है (छायाप्रति संलग्न)।

8. यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा Neutral Citation No.- 2025: AHC-LKO:40756-DB में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में उपरोक्त वर्णित ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को जारी बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है एवं ईट भट्ठे का संचालन पूर्णतः बन्द है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में विधि अनुभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपकें अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

24/07/2025

(महेन्द्र सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

25/7/25

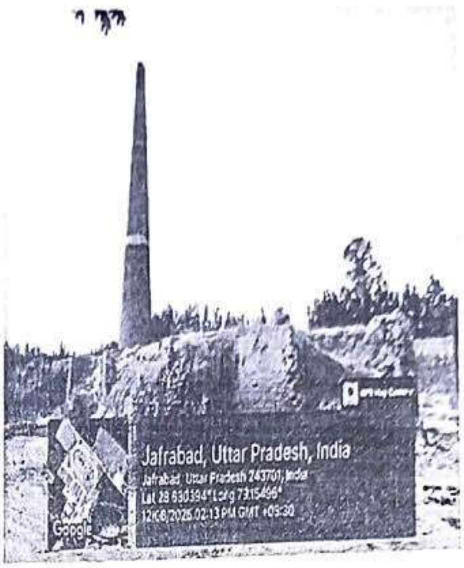

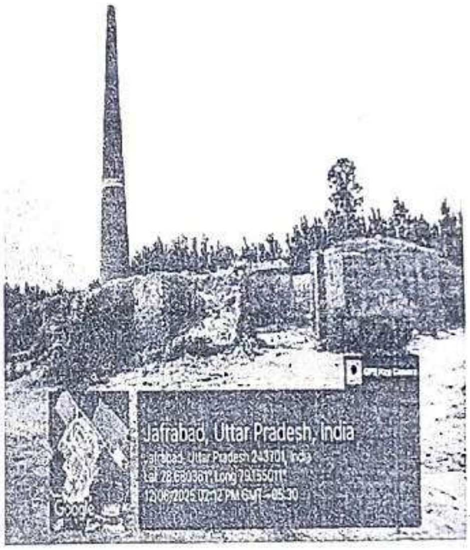

निरीक्षण दिनांक 12.06.2025 को मैसर्स चॉंद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर को लिये गये फोटोग्राफ।

ANNEXURE - R6

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 387/एक–11–2021–4(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :: 09 जून, 2021

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32–7/ 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के कम में प्रदेश सरकार द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्य–जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. शासन द्वारा घोषित उपर्युक्त आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में **कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को** राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. आपदा/दुर्घटनावश/डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में भेद किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

(1) मृतक का पंचनामा किया जायेगा।

(2) किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि की दशा में उपजिलाधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है ताकि आपदा राहत राशि के दुरूपयोग को पूर्णतया रोका जा सके। डूबकर होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में भी उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किये जाने के उपरान्त ही राहत राशि भुगतान किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(3) आपदा/दुर्घटनावश/डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में अन्तर उक्त आधारों पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, आत्महत्या या अन्य आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप होती है, तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रित को कोई सहायता राशि अनुमन्य नहीं होगी।

4. उक्त घोषित राज्य आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

09/6/21

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 387(1)/एक-11-2021 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. राजस्व अनुभाग–10
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।